

बिहार सरकार  
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्रांक- वि.प्रा.(II)व<sup>2</sup>-70/2010-

/ पटना, दिनांक

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0),बिहार  
वीरचन्द्र पटेल मार्ग,पटना

विषय:- विभागान्तर्गत लोकनायक जयप्रकाश प्रौद्योगिकी संस्थान, छपरा के छात्र/छात्राओं को, संस्थान परिसर में छात्रावास की सुविधा उपलब्ध होने तक, शहर के प्रमुख स्थान से संस्थान तक एक बार जाने एवं आने के लिए संस्थान में उपलब्ध दो बसों के परिचालन हेतु प्रतिबस रु. 50,000=00 प्रतिमाह की दर से कुल रु. 12,00,000=00 (बारह लाख रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 के अवशेष तीन माह के लिए रु. 3,00,000=00 (तीन लाख रुपये) मात्र संस्थान को विमुक्त करने के संबंध में।

आदेश- स्वीकृत।

राज्य सरकार ने प्राचार्य, लोकनायक जयप्रकाश प्रौद्योगिकी संस्थान, छपरा के पत्रांक-183, दिनांक 24.8.2016 के आलोक में संस्थान के छात्र/छात्राओं को, संस्थान परिसर में छात्रावास की सुविधा उपलब्ध होने तक, शहर के प्रमुख स्थान से संस्थान तक एक बार जाने एवं आने के लिए संस्थान में उपलब्ध दो बसों के परिचालन हेतु प्रतिबस रु. 50,000=00 प्रतिमाह की दर से कुल रु. 12,00,000=00 (बारह लाख रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 के अवशेष तीन माह के लिए रु. 3,00,000=00 (तीन लाख रुपये) मात्र संस्थान को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।

2. उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2016-17 के आयोजना-भिन्न (गैर योजना) आय-व्ययक के "मुख्यशीर्ष-2203-तकनीकी शिक्षा उपमुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-112- इंजिनियरिंग/ तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान, मांग संख्या-43, उपशीर्ष-0001- स्नातक और स्नाकोत्तर पाठ्यक्रम" (विपत्र कोड-N 2203001120001) के अधीन 13 02 वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलित होगा।

4. इस राशि की निकासी कोषागार, छपरा की जायेगी।

5. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संस्थान के प्राचार्य होंगे।

6. उक्त स्वीकृत राशि से आवश्यकतानुसार बसों का परिचालन एक से अधिक ट्रीप में किया जा सकेगा।

7. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2016-17 में बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

7. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या- 96 वि(2), दिनांक 03.01.2008 के आलोक में सक्षम स्वकृति प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।

8. वित्त विभाग के पत्रांक-7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के आलोक में इस हेतु आवंटित राशि की निकासी में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह./ -

(मिर्जा आरिफ रजा)  
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि.प्रा.(II)व<sup>2</sup> –70 / 2010-

/ पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि.प्रा.(II)व<sup>2</sup> –70 / 2010-

/ पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, कोषागार, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि.प्रा.(II)व<sup>2</sup> –70 / 2010-

/ पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- प्राचार्य, लोकनायक जयप्रकाश प्रौद्योगिकी संस्थान, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -


सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि.प्रा.(II)व<sup>2</sup> –70 / 2010-

77

/ पटना, दिनांक- 12-1-2017

प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/उप निदेशक (यो)/ बजट सहायक/ आई.टी. मैनेजर (E-mail एवं विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

 12.01.17

सरकार के उप सचिव

 12/01/17

E Mail